तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	रेफरेन्स/एल.आर./2006/2402/जयपुर **सरकार बनाम सत्यनारायण**	
30-9-2019	**एकलपीठ** **श्री हरिशंकर गोयल सदस्य** **उपस्थित-** श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही **निर्णय** 1- यह रेफरेन्स जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 12-12-2005 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जयपुर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2034 में खसरा नम्बर-783 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के नाम दर्ज थी तथा कृषक के कालम में प्रताप पुत्र चन्दा जाति ब्राहमण सा. देह का नाम अंकित था। कालान्तर में संवत 2021 से 2024 की जमाबन्दी बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर के नाम से हटाई जाकर प्रताप पुत्र चन्दा जाति ब्राहमण सा. देह के नाम पर अंकित कर दी गयी। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या-20 जरिये गोदपत्र सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति खण्डेलवाल निवासी गोविन्दपुरा के नाम स्वीकृत कर दिया गया, जो आज दिनांक तक यथावत है। उक्त भूमि वास्तव में माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी की थी। मन्दिर मूर्ति माफी को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2006/2402/जयपुर</u>** **सरकार बनाम सत्यनारायण**	
	धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। अप्रार्थीगण किस प्रकार खातेदार बने इसका कोई सक्षम आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिना न्यायालय अथवा सक्षम आदेश के उक्त खातेदारी इंद्राज प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त करते हुए विवादित भूमि को माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के खाते में दर्ज किया जावे। 3– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजे गए। अप्रार्थीगण बावजूद जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस अनुपस्थित रहे इसलिये उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। दिनांक 12–9–2019 को प्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस इकतरफा सुनी गई। 4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी की है। मन्दिर मूर्ति माफी शाश्वत नाबालिग है, इसलिये विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 (1)(a) के अनुसार किसी भी स्थिति में हस्तान्तरित नहीं हो सकते हैं। किन्तु माफी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को पुजारी होने के कारण प्रदान कर दिए गए हैं जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है जिसके आधार पर विवादग्रस्त आराजी के संबंध में सम्वत् 2023 जमाबन्दी में अंकित हो रहे इन्द्राजात के तत्पश्चात् अप्रार्थी, उसके वारिसान का नाम खातेदारी से विलोपित कर विवादित भूमि को पुनः माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के नाम दर्ज करने के आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2006/2402/जयपुर** **सरकार बनाम सत्यनारायण**	
	प्रदान किये जावें। 5- हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, जयपुर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गोविन्दपुरा की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2034 में अंकित खसरा नम्बर-783 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के नाम दर्ज थी तथा कृषक के कालम में प्रताप पुत्र चन्दा जाति ब्राहमण सा. देह का नाम अंकित था। कालान्तर में संवत 2021 से 2024 की जमाबन्दी बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर के नाम से हटाई जाकर प्रताप पुत्र चन्दा जाति ब्राहमण सा. देह के नाम पर अंकित कर दी गयी। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या-20 जरिये गोदपत्र सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति खण्डेलवाल निवासी गोविन्दपुरा के नाम स्वीकृत कर दिया गया, जो आज दिनांक तक यथावत है। मन्दिर मूर्ति माफी को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। मन्दिर माफी की भूमि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों में नहीं आ सकती है यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 (1)(a) के तहत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। यदि किसी भी कारण से भूमि माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के स्थान पर किसी काश्तकार अथवा अन्य व्यक्ति की खातेदारी में आ भी गई है तो वे खातेदारी अधिकार प्रभाव शून्य हैं। माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी शाश्वत अवयस्क हैं और स्वयं काश्त नहीं कर सकते है। ऐसे में अप्रार्थीगण काश्तकार होने के आधार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2006/2402/जयपुर** **सरकार बनाम सत्यनारायण**	
	पर खातेदार नहीं बन सकते है। 7– RRD 2015 Page 556 पर माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच ने निर्णय दिया है कि मंदिर माफी की भूमि सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के बिना किसी की खातेदारी में नहीं दी जा सकती है। चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और मंदिर माफी की भूमि को बेचान या अन्य किसी आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में भी विवादित भूमि सम्वत् 2023 तक माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के नाम अंकित थी जिसे बाद में अप्रार्थी की खतेदारी में दे दिया गया जो कि अवैध व प्रभाव शून्य है। 8– अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित खसरा नम्बर–783 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील जयपुर को पुनः माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। अप्रार्थीगण के खाते से उक्त भूमि कम की जाकर इस पर माफी मन्दिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी अंकित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2006/2402/जयपुर</u>** **सरकार बनाम सत्यनारायण**	